न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 47 / 2012

1 लिछमनराम (फौत)
1 / 1 जैसराम पुत्र लिछमनराम
1 / 2 चुन्नीलाल पुत्र लिछमनराम
1 / 3 भगवानाराम पुत्र लिछमनराम
1 / 4 सांवरमल पुत्र लिछमनराम
1 / 5 मोहनी पुत्री लिछमनराम
1 / 6 मनोहरी पुत्री लिछमनराम
2 किशनलाल पुत्र कानाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ढाणी सालमसिंह तहसील व जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1 भालाराम पुत्र रूड़ाराम
2 सूरसिंह पुत्र कानाराम
3 पोखर पुत्र कानाराम
4 प्यारेलाल पुत्र नानूराम
5 मालसिंह पुत्र नानूराम
6 सोहनलाल पुत्र नानूराम
7 ननी देवी पुत्री नानूराम
8 मोतीराम पुत्र रूड़ाराम
9 बिहारीलाल पुत्र रूड़ाराम

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 तहसीलदार सीकर भूमिधारक राजस्थान सरकार
11 पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक कोतवाली रोड़ सीकर

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांकित 09.09.2011
न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय प्रथम सीकर पीठासीन
अधिकारी श्री जे.पी. त्यागी आरएएस दावा संख्या
213/2011 बउनवानी पालाराम बनाम भूरसिंह
आदि बाबत बंटवारा उद्घोषणा एवं स्थायी
निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री भंवर लाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 19.6.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 440/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 43, 44, 46, 67, 82, 80, 81, 89 59, 60 से 66, 68 से 72, 75/187, 79, 83 से 87, 47 वाके ग्राम सालम सिंह का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बादसुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवदेन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई दौराने सुनवाई उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति से प्रकरण रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर